

प्रोजेक्ट पर वनमंडलाधिकारी की विस्तृत टीप

छिन्दवाड़ा जिले के पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा के वनपरिक्षेत्र दमुआ के अंतर्गत संरक्षित वनखंड के अंतर्गत संरक्षित वनखंड विरमडोह, रामपुर भरदागढ, डुगरिया,भालेआम, वनपरिक्षेत्र जामई के अंतर्गत आरक्षित वनखण्ड 9 खजरी 11 बाकातवा में सारनी-टेकाढाना- जुन्नारदेव-परासिया तक रोड निर्माण हेतु वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-428ए, 421, 419, 435, 436, 437,आर.एफ. 475, 495 रकबा 22.845 हे. वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि रकबा 8.834 हे. कुल आवेदित क्षेत्र 31.679 हे. म.प्र.सड़क विकास निगम भोपाल द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है ।

आवेदित क्षेत्र में वन्य प्राणी के संकेत पाये गये हैं। योजना के निर्माण से आवागमन के साधन प्राप्त होंगे, परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि के एवज में दुगने वनक्षेत्र रकबा 63.358 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। कक्ष क्रमांक पी.एफ.-428ए, 421,419, 435, 436, 437, एवं आर.एफ.-475, 495 के अंतर्गत 31.679 हे. भूमि का निरिक्षण करने में वन्य प्राणियों की उपस्थिति नगण्य पाई गई हैं। आवेदित क्षेत्र सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 22.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। आवेदित क्षेत्र पचमड़ी बायोस्फेयर से भी 10 कि.मी. है। आवेदित क्षेत्र पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 61.2 कि.मी. एवं सतपुड़ा/पेंच टाईगर रिजर्व कारीडोर से मार्ग गुजर रहा है। आवेदित क्षेत्र सतपुड़ा/पेंच टाईगर रिजर्व कारीडोर के अंतर्गत आता है। (कारीडोर से मार्ग गुजर रहा है) वन्य प्राणी प्रबंधन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से इस संबंध में राय लिया जाना उचित होगा।


(एन.के.सनोडिया)

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल वनमंडल